



राज्य सरकार के वित्त

1

राज्य सरकार के वित्त

यह अध्याय राज्य सरकार के वर्ष 2018-19 के वित्त का लेखापरीक्षित परिदृश्य प्रस्तुत करता है एवं विगत पाँच वर्षों की अवधि में समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य राजकोषीय समूहों में वर्ष 2017-18 के सापेक्ष परिवर्तनों का समीक्षात्मक विश्लेषण करता है।

यह समीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार (राज्य सरकार) के वित्त लेखे में सम्मिलित विवरणों पर आधारित है। राज्य का परिदृश्य **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)¹

वर्तमान तथा स्थिर मूल्य (आधार वर्ष 2011-12) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) तथा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियों को **सारणी 1.1** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.1 : भारत का सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भारत का वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (₹करोड़ में)	1,24,67,959	1,37,71,874	1,53,62,386	170,95,005	1,90,10,164
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.99	10.46	11.55	11.28	11.20
राज्य का वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	10,11,790	11,37,210	12,48,374	13,76,324	15,42,432
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.6	12.4	9.78	10.25	12.07
राज्य का स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹करोड़ में)	8,34,432	9,07,700	9,74,073	10,42,113	11,09,408
स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	4.03	8.78	7.31	6.99	6.46

(स्रोत: सकल घरेलू उत्पाद/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े दिनांक 01.08.2019 को भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये)

शासकीय लेखे की संरचना **परिशिष्ट 1.2 के भाग-अ** और वित्त लेखे का प्रारूप **भाग-ब** में दर्शाया गया है।

1.2 राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

सारणी 1.2 एवं **सारणी 1.3** में राज्य सरकार के वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रदर्शित है। वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 की प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ-साथ समग्र राजकोषीय स्थिति को **परिशिष्ट 1.3** में दर्शाया गया है।

¹ सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद दी गयी समयावधि में देश एवं राज्य में उत्पादित सभी आधिकारिक रूप से मान्य अन्तिम सामग्रियों एवं सेवाओं का बाजार मूल्य होता है तथा देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेतक है।

सारणी 1.2: वर्ष 2014-19 की अवधि में प्राप्तियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	वर्ष 2017-18 के सापेक्ष 2018-19 में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
भाग-अ : राजस्व						
राजस्व प्राप्तियाँ	1,93,422	2,27,076	2,56,875	2,78,775	3,29,978	18.37
स्वयं का कर राजस्व	74,172	81,106	85,966	97,393	1,20,122	23.34
स्वयं का कर राजस्व/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)	38.35	35.72	33.47	34.94	36.40	-
करेतर राजस्व	19,935	23,135	28,944	19,795	30,101	52.06
करेतर राजस्व/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)	10.31	10.19	11.27	7.10	9.12	-
संघीय करों/शुल्कों का अंश	66,623	90,974	1,09,428	1,20,939	1,36,766	13.09
भारत सरकार से अनुदान	32,692	31,861	32,537	40,648	42,989	5.76
भाग-ब : पूंजीगत एवं अन्य						
पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत विविध प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	262	726	259	236	5,313	2151.27
लोक ऋण प्राप्तियाँ	35,520	74,514	67,685	47,417	51,595	8.81
अन्तर्राज्यीय समायोजन (निवल)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आकस्मिकता निधि	1	201	173	258	230	(-)10.85
लोक लेखा प्राप्तियाँ	2,30,199	2,65,972	3,06,406	3,20,471	3,80,994	18.89
प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष ²	4,066	(-) 356	(-) 157	944	11,481	1116.21
योग	4,63,470	5,68,133	6,31,241	6,48,101	7,79,591	-

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में राजस्व प्राप्तियों में कुल ₹ 51,203 करोड़ की वृद्धि हुई। राज्य के स्वयं के संसाधनों (कर एवं करेतर) में ₹ 33,035 करोड़ (28.19 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि भारत सरकार से प्राप्तियों में ₹ 18,168 करोड़ (11.24 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राज्य के वित्तीय संसाधनों का अग्रेतर विश्लेषण प्रस्तर 1.4 में किया गया है।

सारणी 1.3: वर्ष 2014-19 की अवधि में व्यय का सारांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	वर्ष 2017-18 के सापेक्ष 2018-19 में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
भाग-अ : राजस्व						
राजस्व व्यय	1,71,027	2,12,736	2,36,592	2,66,224	3,01,728	13.34
सामान्य सेवायें	64,305	72,228	88,255	1,05,782	1,31,057	23.89
सामाजिक सेवायें	60,906	82,487	91,861	84,252	91,312	8.38
आर्थिक सेवायें	34,885	47,881	45,834	64,635	67,259	4.06
सहायता अनुदान एवं अंशदान	10,931	10,140	10,642	11,555	12,100	4.72

² वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में सारणी 1.2 एवं 1.3 में प्रारम्भिक एवं अन्तिम रोकड़ शेष में उद्दिष्ट निधियों में निवेश की धनराशि सम्मिलित है जबकि विगत वर्षों के प्रतिवेदन में दर्शाये गये रोकड़ अवशेषों में उद्दिष्ट निधियों में निवेश की धनराशि सम्मिलित नहीं है।

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	वर्ष 2017-18 के सापेक्ष 2018-19 में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
भाग-ब : पूंजीगत एवं अन्य						
पूंजीगत व्यय	53,297	64,423	69,789	39,088	62,463	59.80
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	1,873	9,118	6,741	1,509	6,303	317.69
लोक ऋणों की अदायगी	9,411	17,673	20,303	15,002	20,717	38.09
अन्तर्राज्यीय समायोजन (निवल)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
आकस्मिकता निधि से संवितरण	203	44	349	413	396	(-)4.12
लोक लेखा संवितरण	2,28,014	2,64,294	2,96,523	3,14,384	3,61,072	14.85
अन्तिम रोकड़ अवशेष	-356	-157	944	11,481	26,912	134.40
योग	4,63,469	5,68,131	6,31,241	6,48,101	7,79,591	-

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वर्तमान मूल्य एवं स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्तियों/राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति को सारणी 1.4 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.4: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति/ राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति					
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्ति (₹ करोड़ में)	1,93,422	2,27,076	2,56,875	2,78,775	3,29,978
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	14.99	17.40	13.12	8.53	18.37
स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्ति (₹ करोड़ में)	1,59,523	1,81,255	2,00,440	2,11,088	2,37,353
स्थिर मूल्य पर राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.18	13.62	10.58	5.31	12.44
वर्तमान एवं स्थिर मूल्यों पर राजस्व प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	19.12	19.97	20.58	20.25	21.39
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व व्यय					
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	1,71,027	2,12,736	2,36,592	2,66,224	3,01,728
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	8.14	24.39	11.21	12.52	13.34
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	1,41,053	1,69,808	1,84,613	2,01,585	2,17,033
स्थिर मूल्य पर राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	4.57	20.39	8.71	9.19	7.66
वर्तमान एवं स्थिर मूल्यों पर राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	16.90	18.71	18.95	19.34	19.56
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष पूंजीगत व्यय					
वर्तमान मूल्य पर पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	53,297	64,423	69,789	39,088	62,463
वर्तमान मूल्य पर पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	62.18	20.88	8.33	(-) 43.99	59.80
स्थिर मूल्य पर पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	43,956	51,423	54,456	29,597	44,930
स्थिर मूल्य पर पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	56.81	16.99	5.90	(-) 45.65	51.81
वर्तमान एवं स्थिर मूल्यों पर पूंजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	5.27	5.67	5.59	2.84	4.05

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की अवधि में, राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वृद्धि हुई। वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में पूंजीगत व्यय में वृद्धि के बावजूद सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष पूंजीगत व्यय में 5.27 प्रतिशत (2014-15) से 4.05 प्रतिशत (2018-19) का समय संकुचन रहा।

1.3 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

सारणी 1.5 में वर्ष 2018-19 में चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों, बजट अनुमान, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (उ.प्र.एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, बजट अनुमानों एवं मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति (एम.टी.एफ.आर.पी.) द्वारा निर्धारित राजकोषीय संकेतकों के लक्ष्य के सापेक्ष राज्य की उपलब्धि दर्शायी गई है।

सारणी 1.5: वर्ष 2018-19 में राज्य का निष्पादन

मुख्य राजकोषीय संकेतक	चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित	उ.प्र.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट अनुमान/एम.टी.एफ.आर.पी. द्वारा निर्धारित लक्ष्य	वास्तविक आँकड़े
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+) (₹करोड़ में)	शून्य घाटा	शून्य घाटा	27,099	(+)28,250
राजकोषीय घाटा (-)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में))	3.25	तीन प्रतिशत से अधिक नहीं	2.96	2.28
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल बकाया ऋण अनुपात (प्रतिशत में)	32.03	30.50	29.8	33.59

(स्रोत: राज्य सरकार का बजट प्रपत्र, चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन, उ.प्र. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2004 एवं उ.प्र. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2016)

वर्ष 2018-19 में, स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटे का अनुपात बजट अनुमान/एम.टी.एफ.आर.पी., उ.प्र.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अन्दर रहा। यद्यपि, वर्ष 2017-18 की तुलना में राज्य के राजकोषीय घाटे (₹ 35,203 करोड़) में 26.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स.रा.घ.उ. के सापेक्ष कुल बकाये ऋण का अनुपात बजट अनुमानों/एम.टी.एफ.आर.पी., उ.प्र.एफ.आर.बी.एम. अधिनियम तथा चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से अधिक है।

यद्यपि राज्य द्वारा ₹ 28,250 करोड़ का राजस्व आधिक्य प्राप्त किया गया, इसमें ₹ 13,419 करोड़ की अतिशयता रही। इसी प्रकार, राजकोषीय घाटे (₹ 35,203 करोड़) में भी ₹ 13,411 करोड़ की न्यूनता रही, जैसा कि प्रस्तर 3.6 में वर्णित है।

1.3.1 राजकोषीय घाटे का संघटन एवं वित्तपोषण

राजकोषीय घाटा, राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (ऋण तथा अग्रिमों सहित) के आधिक्य को पूरा करने के लिए राज्य की कुल वित्तीय आवश्यकता (मुख्यतः रोकड़ के आहरण तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निवेश के अवशेष एवं उधार) को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटे की वित्तीय प्रवृत्ति को सारणी 1.6 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.6: राजकोषीय घाट के घटक एवं वित्तपोषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजकोषीय घाटा (1 से 3)* (कोष्ठक में दिये गये आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत है)	(-) 32,513 (3.21)	(-) 58,475 (5.14)	(-) 55,988 (4.48)	(-) 27,810 (2.02)	(-) 35,203 (2.28)
1 राजस्व आधिक्य	(+) 22,394	(+) 14,340	(+) 20,283	(+) 12,552	(+) 28,250
2 निवल पूंजीगत व्यय ³	(-) 53,297	(-) 64,423	(-) 69,789	(-) 39,088	(-) 62,463
3 निवल ऋण एवं अग्रिम ⁴	(-) 1,610	(-) 8,392	(-) 6,482	(-) 1,274	(-) 990

*इस सारणी में वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में राजकोषीय घाटा उदय पर व्यय को सम्मिलित करते हुये दर्शाया गया है जिससे वित्त लेखे में दिये गये आंकड़ों को वित्तीय प्रवृत्ति के आंकड़ों से मिलाया जा सके। उदय के दिशानिर्देशों के अनुसार, उदय के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों को राज्य के राजकोषीय घाटे की सीमा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में उदय को छोड़कर राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹ 34,143 करोड़ एवं ₹ 41,187 करोड़ था।

राजकोषीय घाटे की वित्तीय प्रवृत्ति [#]					
विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1 बाजार ऋण	13,513	25,301	36,904	37,178	33,307
2 भारत सरकार से ऋण	(-) 875	(-) 803	(-) 409	(-) 438	(-) 832
3 एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	6,325	4,339	(-) 4,532	(-) 4,643	(-) 4,872
4 वित्तीय संस्थाओं से ऋण	7,146	28,005	15,441	317	3,276
5 लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	1,686	1,534	1,619	2,530	3,646
6 जमा एवं अग्रिम	1,050	(-) 1,543	(-) 301	1,414	2,196
7 आरक्षित निधियाँ	(-) 2,695	2,561	7,225	8,265	13,545
8 उच्चत एव विविध	535	(-) 677	592	(-) 2,215	223
9 प्रेषण	1,608	(-) 197	748	(-) 3,906	313
10 निवेश	4,569	(-) 601	(-) 972	(-) 8,991	(-) 15,525
11 अन्य ⁵	(-) 349	556	(-) 327	(-) 1,701	(-) 74
योग	32,513	58,475	55,988	27,810	35,203

#ये सभी आंकड़े वर्ष के अन्तर्गत संवितरण/व्यय का निवल हैं।

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की अवधि में, राजकोषीय घाटा मुख्य रूप से बाजार ऋणों⁶ से वित्त पोषित था। यद्यपि, वर्ष 2015-16 (₹ 601 करोड़) से वर्ष 2018-19 (₹ 15,525 करोड़) की अवधि में रोकड़ अवशेष निवेश लेखा के अन्तर्गत निवेश में वृद्धि⁷ को ध्यान में रखते हुए राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण हेतु बाजार ऋणों को कम करने का अवसर था। अग्रेतर, राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में आरक्षित निधियों के अंश में वर्ष 2015-16 (₹ 2,561 करोड़) से वर्ष 2018-19 (₹ 13,545 करोड़) की अवधि में निरन्तर वृद्धि हुई, जो मुख्यतः निक्षेप निधि के अवशेषों का वास्तविक रूप से निवेश किये बिना ही, राजस्व लेखे से निक्षेप निधि को विनियोग के कारण था, जैसा कि प्रस्तर 1.7.2.1 में वर्णित है।

³ निवल पूंजीगत व्यय = पूंजीगत प्राप्तियाँ (-) पूंजीगत व्यय; ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्तियों से अधिक है।

⁴ निवल ऋण एवं अग्रिम = ऋण एवं अग्रिमों की वसूली (-) संवितरित ऋण एवं अग्रिम; ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि वर्ष के दौरान संवितरित ऋण एवं अग्रिम वसूली से अधिक है।

⁵ आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत लेन-देन, रोकड़ अवशेष, एवं बॉण्ड।

⁶ 2015-16 में वित्तीय संस्थानों के ऋण में निचल वृद्धि मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा उदय के अन्तर्गत बॉण्ड के जारी किये जाने से लिये गये ऋण ₹ 29,602 करोड़ के कारण हुई थी, जिसे वित्तीय संस्थानों से अन्य ऋणों में कमी करके प्रतिसंतुलित किया गया।

⁷ निवेश के अन्तर्गत ऋणात्मक आंकड़े वर्ष के दौरान प्रारम्भिक शेष की तुलना में निवेश के अंतिम अवशेष में वृद्धि को प्रदर्शित करता है।

1.3.2 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

प्राथमिक घाटे⁸ का प्राथमिक राजस्व घाटे⁹, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों में विघटन एवं इसके साथ-साथ राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है, जैसा कि सारणी 1.7 में दर्शाया गया है।


सारणी 1.7: प्राथमिक घाटा/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य(+)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य(+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2014-15	1,93,684	1,52,162	53,297	1,873	2,07,332	(+)41,522	(-)13,648
2015-16	2,27,802	1,91,288	64,423	9,118	2,64,829	(+)35,514	(-)37,027
2016-17	2,57,134	2,09,656	69,789	6,741	2,86,186	(+)47,478	(-)29,052
2017-18	2,79,011	2,37,088	39,088	1,509	2,77,685	(+)41,923	(+)1,326
2018-19	3,35,291	2,69,686	62,463	6,303	3,38,452	(+)65,605	(-)3,161

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2018-19 में, गैर-ऋण प्राप्तियाँ राज्य के प्राथमिक व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं थीं परिणामतः ₹ 3,161 करोड़ का प्राथमिक घाटा हुआ। प्राथमिक घाटे में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति थी तथा यह वर्ष 2014-15 में स.रा.घ.उ. के (-)1.35 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में घटकर स.रा.घ.उ. के सापेक्ष (-) 0.20 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की अवधि में प्राथमिक घाटे में सुधार का मुख्य कारण राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि होना था। यद्यपि पूँजीगत व्यय में सहवर्ती कमी हुई थी। चार्ट 1.1 वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की अवधि में प्रमुख वित्तीय मापदंडों-राजस्व आधिक्य, प्राथमिक घाटे और राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।



(चार्ट 1.1 में वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 के दौरान राजकोषीय घाटे एवं प्राथमिक घाटे में उदय पर किए गए व्यय को छोड़कर दर्शाया गया है क्योंकि उदय के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों को राज्य के राजकोषीय घाटे की सीमा में सम्मिलित नहीं किया जाना है। सारणी 1.7 में प्राथमिक घाटे के संगत आंकड़ों में उदय पर व्यय को सम्मिलित करते हुये दर्शाया गया है जिससे वित्त लेखे में दिये गये आंकड़ों से मिलाया जा सके।)


⁸ प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटा है।

⁹ प्राथमिक राजस्व घाटा, राज्य के ब्याज-रहित राजस्व व्यय एवं इसके गैर-ऋण प्राप्तियों का अन्तर है एवं यह दर्शाता है कि गैर-ऋण प्राप्तियाँ किस सीमा तक राजस्व लेखे के अन्तर्गत किये गये प्राथमिक व्यय को पूरा करने हेतु पर्याप्त है।

1.3.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े

बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय में कमी या तो अप्रत्याशित एवं अनपेक्षित घटनाओं के कारण अथवा बजट तैयार करने में व्यय एवं प्राप्तियों का कम/अधिक आकलन के कारण, लक्षित राजकोषीय उद्देश्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

वर्ष 2018-19 के लिए चयनित राजकोषीय मापदण्डों की बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक स्थिति चार्ट 1.2 एवं परिशिष्ट 1.4 में प्रदर्शित है।



(स्रोत: बजट प्रपत्र एवं वित्त लेखे वर्ष 2018-19)

- बजट अनुमानों के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों (₹ 18,641 करोड़) में कमी बजट अनुमानों की तुलना में भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान (₹ 20,561 करोड़) एवं स्वयं के कर राजस्व (₹ 2,578 करोड़) में कम प्राप्तियों के कारण थी। यद्यपि संघीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश (₹ 3,218 करोड़) तथा करेतर राजस्व (₹ 1,279 करोड़) के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति हुई।
- बजट अनुमानों के सापेक्ष स्वयं के कर राजस्व में कमी (₹ 2,578 करोड़) मुख्यतः राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹ 3,314 करोड़), स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 2,267 करोड़) एवं वाहनों पर कर (₹ 471 करोड़) के अन्तर्गत हुई जो बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर (₹ 1,720 करोड़), विद्युत पर कर एवं शुल्क (₹ 978 करोड़) तथा राज्य आबकारी (₹ 927 करोड़) के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों से प्रतिसंतुलित हुई।
- राजस्व व्यय में कमी (₹ 19,792 करोड़), मुख्यतः सामाजिक सेवाओं (₹ 19,352 करोड़) तथा सामान्य सेवाओं (₹ 5,187 करोड़) में थी जो आर्थिक सेवाओं (₹ 4,834 करोड़) के अन्तर्गत अधिक व्यय के द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

- पूंजीगत व्यय में ₹ 11,781 करोड़ की कमी का मुख्य कारण सामाजिक सेवाओं में ₹ 11,855 करोड़ एवं सामान्य सेवाओं में ₹ 958 करोड़ की कमी थी जो आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत ₹ 1,033 करोड़ के अधिक व्यय के द्वारा प्रतिसंतुलित हुई।

संस्तुति: वित्त विभाग को बजट तैयार करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे बजट अनुमान तथा वास्तविकताओं में अन्तर को कम किया जा सके।


1.4 राज्य के वित्तीय संसाधन

वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन


राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत स्वयं का कर राजस्व, करेतर राजस्व, केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित है। पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत प्राप्तियों में विविध प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम के साथ-साथ लोक लेखे के अवशेष सम्मिलित हैं।

चार्ट 1.3 वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों के संघटन तथा चार्ट 1.4 वर्ष 2014-19 की अवधि में प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट 1.3: वर्ष 2018-19 में कुल प्राप्तियों के संघटन




(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2018-19)




(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

1.4.1 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे के विवरण-14 में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2014-19 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संघटन को परिशिष्ट 1.5 में प्रस्तुत किया गया है एवं क्रमशः चार्ट 1.5 एवं चार्ट 1.6 में भी प्रदर्शित किया गया है।



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2018-19 में ₹ 3,29,978 करोड़ की राजस्व प्राप्तियों में, ₹ 1,50,223 करोड़ राज्य का स्वयं का (कर/करेतर) राजस्व एवं भारत सरकार से प्राप्त ₹ 1,79,755 करोड़ सम्मिलित है। इनका अग्रेतर विश्लेषण आगे के प्रस्तारों में किया गया है।

1.4.1.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन को स्वयं के कर राजस्व तथा करेतर राजस्व के संदर्भ में आंकलित किया जाता है तथा इसमें केन्द्रीय करों में राज्यांश तथा सहायता अनुदान को सम्मिलित नहीं किया जाता है, जो वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित होते हैं।

वर्ष 2014-19 की अवधि में स्वयं के कर राजस्व तथा करेतर राजस्व के संग्रहण के विवरण को **परिशिष्ट 1.6** में प्रदर्शित किया गया है। स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2014-15 के ₹ 74,172 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में ₹ 1,20,122 करोड़ अर्थात् कुल ₹ 45,950 करोड़ (61.95 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

बजट अनुमानों के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व को **सारणी 1.8** में दर्शाया गया है।

सारणी 1.8: वर्ष 2018-19 हेतु बजट अनुमानों के सापेक्ष स्वयं के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ
स्वयं का कर राजस्व	1,22,700	1,20,122
करेतर राजस्व	28,822	30,101
योग	1,51,522	1,50,223

(स्रोत: बजट प्रपत्र एवं वित्त लेखे वर्ष 2018-19)

स्वयं के कर राजस्व

वर्ष 2014-19 की अवधि में स्वयं के कर राजस्व का विवरण सारणी 1.9 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.9: स्वयं के कर राजस्व के घटक

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	(₹ करोड़ में)
						वर्ष 2017-18 के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में भिन्नता (प्रतिशत)
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	42,934 (58)	47,692 (59)	51,883 (60)	31,113 (32)	23,798 (20)	(-) 23.51
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	25,374 (26)	46,108 (38)	81.71
राज्य आबकारी	13,483 (18)	14,084 (17)	14,274 (17)	17,320 (18)	23,927 (20)	38.15
वाहनों पर कर	3,797 (5)	4,410 (5)	5,148 (6)	6,404 (7)	6,929 (6)	8.20
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	11,803 (16)	12,404 (15)	11,564 (13)	13,398 (14)	15,733 (13)	17.43
भू-राजस्व	527 (1)	505 (1)	760 (1)	1,336 (1)	631 (1)	(-)52.77
विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,085 (1)	1,338 (2)	1,556 (2)	2,124 (2)	2,978 (2)	40.21
अन्य कर ¹⁰	543 (1)	673 (1)	781 (1)	324 (0)	18 (0)	(-) 94.44
योग	74,172	81,106	85,966	97,393	1,20,122	23.34
स.रा.घ.उ. (वर्तमान मूल्यों पर)	10,11,790	11,37,210	12,48,374	13,76,324	15,42,432	12.07
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष स्वयं के कर राजस्व का प्रतिशत	7.33	7.13	6.89	7.08	7.79	-

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

(कोष्ठक के आंकड़े करों के संग्रह की कुल कर के सापेक्ष प्रतिशतता है)

- वर्ष 2018-19 में स्वयं के कर राजस्व में कुल 23.34 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः राज्य आबकारी (₹ 6,607 करोड़), स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 2,335 करोड़), तथा विद्युत पर कर एवं शुल्क (₹ 854 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।
- राज्य आबकारी प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः देशी स्पिरिट (₹ 2,722 करोड़), माल्ट शराब (₹ 1,475 करोड़) तथा विदेशी शराब एवं स्पिरिट (₹ 2,660 करोड़) की बिक्री में वृद्धि के कारण थी। राज्य आबकारी नीति वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रोसेसिंग शुल्क, फुटकर विक्रेताओं के लिये नवीकरण शुल्क तथा देशी शराब की न्यूनतम गारंटी मात्रा (एम.जी.क्यू.) आदि में भी वृद्धि की गयी थी।

¹⁰ अन्य करों में सामानों एवं यात्रियों पर कर सम्मिलित है, होटल रसीद पर कर, मनोरंजन कर, बाजी कर, सिनेमा थिएटर में प्रदर्शित विज्ञापन पर कर, इत्यादि। करों में कमी मुख्य रूप से जुलाई 2017 के पश्चात वस्तु और सेवाकरों (जी.एस.टी.) के अन्तर्गत इन करों के निर्वाह के कारण है।

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

- राज्य सरकार द्वारा भूमि के सर्किल दरों में संशोधन किया गया था। स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि न्यायिकेत्तर स्टैम्प्स की बिक्री से अधिक प्राप्ति के कारण हुई।
- विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर में ₹ 7,315 करोड़ की कमी हुई क्योंकि यह कर, वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) में समाहित कर दिया गया, जो कि 1 जुलाई 2017 से क्रियान्वित हुआ था। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के संग्रहण में ₹ 20,734 करोड़ की वृद्धि हुई।
- विद्युत पर कर एवं शुल्क की प्राप्तियों में वृद्धि विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर अधिक संग्रहण के कारण हुई।

करेतर राजस्व

वर्ष 2014-19 की अवधि में करेतर राजस्व की प्राप्तियों का विवरण सारणी 1.10 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.10: करेतर राजस्व एवं इसके मुख्य घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	वर्ष 2017-18 के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में भिन्नता (प्रतिशत)
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	1,029(5)	1,222(5)	1,548(5)	3,259(16)	3,165 (11)	(-) 2.88
ऊर्जा	966 (5)	1,322(6)	2,939 (10)	4,696(24)	5,735(19)	22.13
ब्याज प्राप्तियाँ	2,303(12)	633(3)	1,165(4)	1,093(6)	1,712 (6)	56.63
विविध सामान्य सेवायें	6,400(32)	4,949(21)	4,460 (15)	4,841(24)	13,678 (45)	182.54
मध्यम सिंचाई	326(1)	557(3)	652(2)	834 (4)	778 (3)	(-)6.71
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	5,799(29)	10,652(46)	14,092(49)	432 (2)	381 (1)	(-) 11.81
अन्य करेतर प्राप्तियाँ	3,112(16)	3,800(16)	4,088(15)	4,640(24)	4,652 (15)	0.26
योग	19,935	23,135	28,944	19,795	30,101	52.06

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

(कोष्ठक के आंकड़े करों के संग्रह की कुल कर से प्रतिशतता है)

वर्ष 2017-18 के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में करेतर प्राप्तियों में कुल 52.06 प्रतिशत, धनराशि ₹10,306 करोड़, की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः ब्याज प्राप्तियों (रोकड़ अवशेष के निवेश एवं चीनी मिलों को दिये गये ऋण से अधिक ब्याज प्राप्ति) एवं निक्षेप निधि के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में ₹ 4,422 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में ₹ 12,693 करोड़ की धनराशि विविध सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत प्राप्ति के रूप में पुस्तांकित किये जाने के कारण थी। निक्षेप निधि से अवशेषों का अंतरण निर्धारित लेखा प्रक्रिया से

असंगत था एवं वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य की अतिशयता हुई, जैसा कि प्रस्तर 1.7.2.1 में विस्तृत रूप से दिया गया है।

1.4.1.2 भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

राज्य सरकार वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर सहायता अनुदान एवं संघीय करों एवं शुल्कों में अंश प्राप्त करती है। भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण सारणी 1.11 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.11: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण (उप मुख्य शीर्ष)	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आयोजनेत्तर अनुदान (01)	6,809	8,274	9,335	-	-
राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान (02)	6,577	1,933	232	-	-
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान (03)	17	16	56	-	-
केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान (04)	19,289	21,638	22,914	-	-
केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान (06)	-	-	-	27,731	31,250
वित्त आयोग अनुदान (07)	-	-	-	8,849	9,318
अन्य हस्तांतरण/अनुदान (08)	-	-	-	4,068	2,421
कुल अनुदान	32,692	31,861	32,537	40,648	42,989
विगत वर्ष से वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	45.91	(-) 2.54	2.12	24.93	5.76
राजस्व प्राप्तियाँ	1,93,422	2,27,076	2,56,875	2,78,775	3,29,978
राजस्व प्राप्तियों में कुल अनुदान की प्रतिशतता	16.90	14.03	12.67	14.58	13.03

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 में उप मुख्य शीर्ष¹¹ –केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान (₹ 31,250 करोड़), वित्त आयोग अनुदान (₹ 9,318 करोड़) एवं अन्य हस्तांतरण/अनुदान (₹ 2,421 करोड़) के अन्तर्गत सहायता अनुदान प्राप्त किया। विगत वर्ष (₹ 40,648 करोड़) के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में सहायता अनुदान (₹ 42,989 करोड़) में ₹ 2,341 करोड़ की वृद्धि हुई। सहायता अनुदान में वृद्धि मुख्यतः नगर विकास, प्राथमिक शिक्षा तथा खाद्य एवं रसद विभाग हेतु अनुदानों की अधिक प्राप्ति के कारण थी जो जी.एस.टी. के क्रियान्वयन होने के कारण राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति हेतु कम प्राप्ति से प्रतिसंतुलित हुयी।

1.4.1.3 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

भारत सरकार संघीय करों एवं शुल्कों जैसे आयकर, सेवाकर, संघीय उत्पाद शुल्क आदि (वर्ष 2017-18 से केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर भी) में राज्य का अंश हस्तांतरित करती है। वर्ष 2014-19 की अवधि में केन्द्रीय कर हस्तांतरण की प्रवृत्तियाँ सारणी 1.12 में दर्शाई गई है।

¹¹ योजना और आयोजनेत्तर व्यय के विलय के पश्चात, उप शीर्ष 'आयोजनेत्तर अनुदान (01)', 'राज्य परियोजना के योजनाओं के लिए अनुदान (02)', 'केन्द्रीय परियोजना के योजना के लिए अनुदान (03)', 'केन्द्र प्रायोजित परियोजना के योजना के अनुदान (04)', 1 अप्रैल 2017 से बन्द कर दिया गया।

सारणी 1.12: केन्द्रीय कर हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कुल केन्द्रीय कर हस्तांतरण	66,623	90,974	1,09,428	1,20,939	1,36,766
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर	-	-	-	1,718	33,757
एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर	-	-	-	12,212	2,694
सेवा कर	9,822	15,682	17,515	13,719	1,252
निगम कर से भिन्न आय पर कर	16,614	19,815	24,394	31,280	35,028
संघीय उत्पाद शुल्क	6,084	12,206	17,241	12,761	6,442
निगम कर	23,265	28,603	35,099	37,043	47,563
सम्पत्ति पर कर	63	08	81	(-)2	17
सीमा शुल्क	10,775	14,587	15,098	12,208	9,695
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	0	73	0	0	70
आय तथा व्यय पर अन्य कर	0.56	0.69	0.02	0	248

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2018-19 में कुल केन्द्रीय कर हस्तांतरण, ₹ 1,36,766 करोड़ में से ₹ 36,451 करोड़ एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर मद में था। विगत वर्ष की तुलना में केन्द्रीय करों के हस्तांतरण में कुल वृद्धि ₹ 15,827 करोड़ (13 प्रतिशत) थी।

1.4.1.4 वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम लागू किया, जो 01 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार जी.एस.टी. के क्रियान्वयन के कारण राज्यों के राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति पाँच वर्षों की अवधि के लिये करेगी। जी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत जी.एस.टी. में सम्मिलित करों के लिये राजस्व आंकड़ों हेतु एक आधार वर्ष (वर्ष 2015-16) माना गया था। राज्य के किसी वर्ष के अनुमानित राजस्व की गणना उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित वृद्धि दर (14 प्रतिशत प्रतिवर्ष) को लागू कर की जानी थी।

वित्त लेखे में वर्ष 2018-19 के लिये जी.एस.टी. के अन्तर्गत राजस्व आंकड़ों को प्राप्ति के स्वरूपों यथा: राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.), एस.जी.एस.टी. का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रास युटिलाइजेशन एवं आई.जी.एस.टी. (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर), आई.जी.एस.टी. का विभाजन-एस.जी.एस.टी. के कर घटक का अंतरण एवं आई.जी.एस.टी. का अग्रिम विभाजन के रूप में दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रकरण में आधार वर्ष (वर्ष 2015-16) में सम्मिलित करों से राजस्व ₹ 33,359 करोड़ था। अतः, आधार वर्ष के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018-19 हेतु अनुमानित राजस्व ₹ 49,428 करोड़ था, जिसके सापेक्ष एस.जी.एस.टी. के रूप में ₹ 46,108 करोड़ संग्रहीत हुआ था। इस धनराशि में भारत सरकार से आई.जी.एस.टी. के अनन्तिम/अग्रिम समाधान के रूप में प्राप्त ₹ 5,424 करोड़ सम्मिलित था। राज्य सरकार ने जी.एस.टी. लागू किये जाने के कारण राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति हेतु भारत सरकार से ₹ 308 करोड़ भी प्राप्त किया।

वस्तु एवं सेवा कर संग्रह की प्रक्रिया में स्वचालन लागू होने के कारण, लेखाओं को प्रमाणित करने के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संवैधानिक जनादेश की पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा जॉच को नमूना जॉच से समस्त लेनदेनों की व्यापक जॉच की ओर संक्रमित किया जाये। आंकड़ों तक आवश्यक पहुँच उपलब्ध कराया जाना अभी शेष है। सभी जी.एस.टी. लेनदेनों से संबंधित आँकड़ों तक पहुँच का न होना जी.एस.टी. प्राप्तियों की विस्तृत लेखा परीक्षा में बाधा है। इसलिये वर्ष 2018-19 के लिये लेखाओं का प्रमाणीकरण एक बार के अपवाद के रूप में, नमूना जॉच के आधार पर, उसी प्रकार किया गया जैसे तब किया जाता था जब अभिलेखों का रखरखाव हस्तलिखित रूप से किया जाता था।

1.4.1.5 राजस्व बकाया

31 मार्च 2019 को कुछ मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राजस्व बकाया की धनराशि ₹ 30,177.09 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 13,129.57 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं को सारणी 1.13 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.13: राजस्व बकाया

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	विभाग का नाम	₹ करोड़ में	
			31 मार्च 2019 को कुल बकाया धनराशि	पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया धनराशि
1.	वाणिज्यिक कर	बिक्री कर विभाग	28,987.75	12,668.82
2.	मनोरंजन कर	मनोरंजन एवं बाजीकर विभाग	480.04	10.12
3.	राज्य आबकारी	आबकारी विभाग	54.57	51.41
4.	स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	स्टाम्प और पंजीकरण विभाग	654.73	399.22
योग			30,177.09	13,129.57

(स्रोत: सम्बन्धित विभाग)

संस्तुति: वित्त विभाग को राजस्व बकाया के त्वरित संग्रह हेतु प्रणाली विकसित करनी चाहिये।

1.4.1.6 संग्रह की लागत

वर्ष 2018-19 में मुख्य राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में संग्रह तथा संग्रह की लागत का विवरण सारणी 1.14 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.14: संग्रह की लागत

विवरण	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	संग्रह पर किये गये व्यय की सकल संग्रह के सापेक्ष प्रतिशतता	विगत वर्ष का अखिल भारतीय स्तर पर औसत
	₹ करोड़ में			
राज्य वस्तु एवं सेवाकर तथा बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	69,906	750	1.07	0.69
स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	15,733	163	1.04	2.96
राज्य आबकारी	23,927	188	0.79	1.83
वाहनों पर कर	6,929	164	2.37	2.61

(स्रोत: सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना एवं वित्त लेखे)

यद्यपि, राज्य आबकारी, वाहनों पर कर तथा स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क के संग्रह की लागत विगत वर्ष के अखिल भारतीय औसत से कम थी, बिक्री व व्यापार इत्यादि पर कर एवं एस.जी.एस.टी. पर करों के संग्रह की लागत अखिल भारतीय औसत संग्रह लागत की लगभग डेढ़ गुना अधिक थी।

संस्तुति : वित्त विभाग एवं वाणिज्य विभाग को विश्लेषण करना चाहिये कि एस.जी.एस.टी. एवं बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर संग्रह की लागत अखिल भारतीय औसत संग्रह लागत की लगभग डेढ़ गुना क्यों है तथा संग्रह लागत को कम करने के उपायों को प्रारम्भ करना चाहिये।

1.4.2 पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत प्राप्तियाँ

वर्ष 2014-19 की अवधि में पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्ति सारणी 1.15 में दर्शायी गई है।

सारणी 1.15: पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	35,782	75,240	67,944	47,653	56,908
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	262	726	259	236	5,313
लोक ऋण प्राप्तियाँ	35,520	74,514	67,685	47,417	51,595
पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत गैर ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	(-) 56	177	(-) 64	(-) 9	2151
पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत ऋण प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	138	110	(-) 9	(-) 30	9

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य की कुल ₹ 51,595 करोड़ की लोक ऋण प्राप्तियों में से ₹ 804 करोड़ भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा शेष ₹ 50,791 करोड़ राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण था।

ऋण एवं अग्रिम की कुल वसूली ₹ 5,313 करोड़ में से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (अन्तर राज्यीय विद्युत पारेषण लाइन निर्माण के लिये दिया गया ऋण) से ₹ 4,892 करोड़ तथा सरकारी कर्मचारियों से ₹ 101 करोड़ वसूल किया गया था।

1.4.2.1 आन्तरिक स्रोतों से राज्य सरकार की ऋण प्राप्तियाँ

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की अवधि में आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त ऋणों का विवरण सारणी 1.16 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.16: राज्य सरकार की आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बाजार ऋण	17,500	30,000	41,050	41,600	46,000
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	1,732	4,499	8,695	2,933	00
वित्तीय संस्थानों से ऋण	7,176	31,669	16,909	1,781	4,791
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	8,626	7,752	0	0	00
योग	35,034	73,920	66,654	46,314	50,791
आन्तरिक ऋण प्राप्तियों की कुल लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों की प्राप्तियों से प्रतिशतता	49.03	65.12	58.90	51.43	44.75

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

आन्तरिक ऋण प्राप्तियों में बाजार ऋण एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण में बढ़ोत्तरी के कारण ₹ 4,477 करोड़ (10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा यह ₹ 46,314 करोड़ (वर्ष 2017-18) से बढ़कर वर्ष 2018-19 में ₹ 50,791 करोड़ हो गया।

वर्ष 2018-19 में वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्तियाँ ₹ 1,781 करोड़ (वर्ष 2017-18) से बढ़कर ₹ 4,791 करोड़ हो गई जिसका मुख्य कारण राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से लिये गये ऋण में ₹ 3,133 करोड़ तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) से लिये गये ऋण में ₹ नौ करोड़ की वृद्धि थी जो ग्रामीण विद्युतीकरण कार्पोरेशन लिमिटेड से ₹ 132 करोड़ कम ऋण लिये जाने से प्रतिसंतुलित हुई। राज्य द्वारा निवेशों पर प्राप्त ब्याज से अधिक दर पर उधार लेने के प्रभाव का वर्णन प्रस्तर 1.6.5 में किया गया है।

1.4.2.2 भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम

वर्ष 2014-19 की अवधि में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण सारणी 1.17 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.17: भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	486	594	1,031	1,103	804

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत प्राप्तियों में कमी (₹ 299 करोड़) वाह्य सहायतित योजनाओं पर बैंक-टू-बैंक ऋण के अन्तर्गत कम प्राप्तियों के कारण हुई।

1.4.3 लोक लेखे की प्राप्तियाँ

अल्प बचत, भविष्य निधि और आरक्षित निधियाँ आदि, जो समेकित निधि के अंग नहीं हैं, से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं ये विधायिका के मत के अधीन नहीं

होते हैं। इनके सम्बन्ध में सरकार एक बैंकर अथवा ट्रस्टी की भॉति काम करती है। वित्त लेखे के विवरण-21 में लोक लेखे की प्राप्तियों एवं संवितरण की स्थिति दी गयी है तथा लोक लेखे (निवल) का विवरण सारणी 1.18 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.18: लोक लेखे (निवल) की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत संसाधन	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लोक लेखे (निवल)	2,185	1,678	9,883	6,088	19,923
क. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	1,686	1,534	1,619	2,530	3,646
ख. आरक्षित निधि	(-) 2,694	2,561	7,225	8,265	13,545
ग. जमा एवं अग्रिम	1,050	(-)1,543	(-)301	1,414	2,196
घ. उचन्त एवं विविध	535	(-)677	592	(-)2,215	223
ड. प्रेषण	1,608	(-)197	748	(-)3,906	313


(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

आरक्षित निधियों के अन्तर्गत लेन-देनों के प्रभाव का वर्णन प्रस्तर 1.7.2 में किया गया है।


1.5 संसाधनों के अनुप्रयोग

1.5.1 व्यय के संघटन एवं उनमें वृद्धियाँ

चार्ट 1.7 एवं चार्ट 1.8 वर्ष 2014-19 की अवधि में क्रमशः कुल व्यय की प्रवृत्तियों एवं उनके घटकों को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

1.5.1.1 राजस्व व्यय

कुल व्यय का प्रमुख घटक राजस्व व्यय ही बना रहा एवं इसका अंश 75.61 प्रतिशत (वर्ष 2014-15) से बढ़कर 81.44 प्रतिशत (वर्ष 2018-19) हो गया। राजस्व व्यय का विवरण सारणी 1.19 में दिया गया है।

सारणी 1.19: राजस्व व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व व्यय	1,71,027	2,12,736	2,36,592	2,66,224	3,01,728
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	8.14	24.39	11.21	12.52	13.34

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2017-18 के सापेक्ष वर्ष 2018-19 के राजस्व व्यय में ₹ 35,504 करोड़ (13 प्रतिशत) की समग्र वृद्धि हुई थी। वर्ष 2018-19 में वृद्धि मुख्यतः अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम¹² (₹ 8,578 करोड़), विद्युत विभाग¹³ (₹ 8,149 करोड़), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ¹⁴ (₹ 5,547 करोड़), पुलिस¹⁵ (₹ 2,386 करोड़), शहरी विकास¹⁶ (₹ 1,386 करोड़) तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण¹⁷ (₹ 1,758 करोड़) के अन्तर्गत थी। विगत वर्ष के सापेक्ष कमी मुख्यतः कृषि कर्म के अन्तर्गत¹⁸ (₹ 15,548 करोड़) थी।

¹² वृद्धि मुख्य रूप से पंचायती राज विकास कार्यक्रम (₹ 5,905 करोड़) और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹ 2,049 करोड़) के अन्तर्गत अधिक व्यय के कारण हुई।

¹³ वृद्धि मुख्य रूप से पी एस यू (₹ 4,892 करोड़) को सहायता और विद्युत के ट्रांसमिशन एवं वितरण (₹ 3,257 करोड़) के सम्बन्ध में अन्य विविध व्यय के कारण हुई थी।

¹⁴ वृद्धि मुख्य रूप से सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्तिक भत्ते (₹ 1,544 करोड़), परिवार पेंशन (₹ 507 करोड़) आदि पर व्यय के कारण थी। यद्यपि, क्रमशः पेंशन के रूपान्तरित मूल्य (₹ 986 करोड़) और उपादान (₹ 297 करोड़) के कारण कमी हुई।

¹⁵ वृद्धि मुख्य रूप से जिला पुलिस (₹ 1,805 करोड़), विशेष पुलिस (₹ 203 करोड़) तथा पुलिस समारोह से सम्बन्धित व्यय (₹ 143 करोड़) के कारण हुई।

¹⁶ वृद्धि मुख्य रूप से शहरी विकास योजनाओं (₹ 988 करोड़) के द्वारा निर्माण पर अधिक खर्च, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹ 370 करोड़), निगम/परिषद को सहायता (₹ 229 करोड़), आदि के कारण हुई।

¹⁷ वृद्धि मुख्य रूप से बाल कल्याण (₹ 1,564 करोड़) तथा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹ 323 करोड़) के कारण हुई।

¹⁸ मुख्य रूप से फसल कृषि कर्म के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹ 2,110 करोड़), लघु/सीमांत कृषकों एवं कृषक मजदूरों (₹ 15,250 करोड़) की योजना पर व्यय में कमी के कारण थी।

1.5.1.2 वचनबद्ध व्यय

राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान (₹ 32,042 करोड़), वेतन एवं मजदूरी (₹ 91,325 करोड़), पेंशन (₹ 44,024 करोड़) तथा सब्सिडी (₹ 14,053 करोड़) पर व्यय सम्मिलित है। वर्ष 2014-19 की अवधि में वचनबद्ध व्यय की प्रवृत्तियाँ सारणी 1.20 में प्रस्तुत की गयी हैं।

सारणी 1.20: वचनबद्ध व्ययों के घटकों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वचनबद्ध व्ययों के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
वेतन* एवं मजदूरी, जिसमें से	62,147 (32)	74,439 (33)	85,416 (33)	85,076 (31)	1,03,264	91,325 (28)
आयोजनेत्तर शीर्ष	51,195	58,537	66,424			
आयोजनागत शीर्ष**	10,952	15,902	18,992			
ब्याज भुगतान	18,865 (10)	21,448 (9)	26,936 (11)	29,136 (10)	32,434	32,042 (10)
पेंशन पर व्यय	22,305 (11)	24,150 (11)	28,227 (11)	38,476 (14)	45,495	44,024 (13)
सब्सिडी	7,661 (4)	7,691 (3)	8,045 (3)	9,284 (3)	11,564	14,053 (4)
वचनबद्ध व्यय का योग	1,10,978 (57)	1,27,728 (56)	1,48,624 (58)	1,61,972 (58)	1,92,757	1,81,444 (55)

राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष प्रतिशत कोष्ठक में इंगित किये गये हैं।

*सहायता अनुदान से भुगतान किया गया वेतन भी सम्मिलित है।

**वर्ष 2017-18 से आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर के विभाजन का विलय हो गया है।

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा संकलित आंकड़े)

वर्ष 2018-19 में वचनबद्ध व्यय (₹ 1,81,444 करोड़), जो राजस्व प्राप्ति (₹ 3,29,978 करोड़) का 55 प्रतिशत था, राजस्व व्यय का एक प्रमुख घटक रहा और जिसने कुल राजस्व व्यय (₹ 3,01,728 करोड़) के 60 प्रतिशत का उपभोग किया।

1.5.1.3 परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद भर्ती किए गए राज्य सरकार के कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डी.सी.पी.एस./एन.पी.एस.) से आच्छादित हैं। यह सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वायत्त निकायों के नए प्रवेशकों पर भी लागू है। योजना के अन्तर्गत, सरकारी कर्मचारी मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान देते हैं, जिसमें राज्य सरकार द्वारा समतुल्य अंशदान दिया जाता है और सम्पूर्ण धनराशि नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबन्धक को हस्तांतरित की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, दोनों अंशदानों को प्रारंभ में लोक लेखे के अन्तर्गत संबंधित मुख्य लेखाशीर्ष 8342-अन्य जमा-117 डी.सी.पी.एस. सरकारी कर्मचारियों के लिए अथवा 120-विविध जमा में, शासकीय सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं तथा स्वायत्त शासी निगमों के कर्मचारियों के लिए जमा किया जाना था। उसके पश्चात्, माह के अंशदान की समस्त धनराशि को अगले माह तक ट्रस्टी बैंक को स्थानान्तरित किया जाना था।

तथापि राज्य सरकार ने उपरोक्त प्रक्रिया का सम्पूर्णता में पालन नहीं किया। सरकारी कर्मचारियों तथा शासकीय सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारियों के संदर्भ में राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में लेखाशीर्ष 2071-01-117 परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत शासकीय अंशदान के रूप में ₹ 1,768.40 करोड़ (₹ 1,221.40 करोड़ शासकीय कर्मचारियों के लिए तथा शासकीय सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ₹ 547.00 करोड़) का व्यय किया। इसके सापेक्ष वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा मात्र ₹ 1,237.81 करोड़ (सरकारी कर्मचारियों के लिए ₹ 1,215.17 करोड़ तथा शासकीय सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ₹ 22.64 करोड़) शासकीय अंशदान के रूप में मुख्य लेखाशीर्ष 8342—अन्य जमा में अंतरित किया गया। जैसा कि वित्त लेखे में उल्लिखित है, राज्य सरकार द्वारा इसे अन्तरित न किये जाने के कारणों से अवगत नहीं कराया गया। इस प्रकार, ₹ 530.59 करोड़ का शासकीय अंशदान, यद्यपि लेखाओं में राजस्व व्यय के रूप में पुस्तांकित था, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना हेतु निर्धारित मुख्यशीर्ष 8342 में अंतरित नहीं किया गया था।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या 3 वर्ष 2019) में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 तक नियत प्राधिकारी को परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत ₹ 1,379.95 करोड़ कम हस्तान्तरित किये जाने का प्रकरण प्रतिवेदित था।

मुख्यशीर्ष 8342—अन्य जमा के अन्तर्गत प्राप्ति एवं व्यय से उद्घटित हुआ कि राज्य सरकार द्वारा परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में कर्मचारियों के अंशदान¹⁹ ₹ 2,218.98 करोड़ के सापेक्ष शासकीय अंशदान के रूप में ₹ 1,237.81 करोड़ का हस्तांतरण किया गया था। इस प्रकार, राज्य सरकार ने अपने सांविधिक उत्तरदायित्वों को नहीं निभाया क्योंकि यह परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में समतुल्य अंशदान के रूप में ₹ 981.17 करोड़ का अंशदान करने में विफल रही। अग्रेतर, वर्ष 2018-19 में संग्रहित सम्पूर्ण अंशदान, ₹ 3,456.79 करोड़ (कर्मचारियों का अंशदान तथा शासकीय अंशदान) में से ₹ 153.25 करोड़ राज्य सरकार द्वारा नियत प्राधिकारी के पास जमा नहीं किये गये थे। इस प्रकार, वर्ष 2018-19 में योजना के प्रावधानों के अनुसार अग्रेतर निवेश हेतु नियत प्राधिकारी को ₹ 1,134.42 करोड़ (₹ 981.17 करोड़ + ₹ 153.25 करोड़) कम हस्तांतरित किये गये थे। इस प्रकार, वर्तमान देयताओं को भविष्य के वर्ष(ों) के लिए स्थगित किया गया था।

अग्रेतर, राज्य सरकार ने कर्मचारियों को देय लाभों/सरकार की भावी परिहार्य वित्तीय देयताओं के सम्बन्ध में अनिश्चितता उत्पन्न की और इस प्रकार योजना को ही संभावित विफलता की ओर अग्रसर किया।

संस्तुति: राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों के अंशदान की कटौती पूरी तरह से की जाए, सरकार द्वारा अपना पूर्ण अंशदान दिया जाए तथा इन्हें

¹⁹ राज्य सरकार के कर्मचारी, शासकीय सहायता संस्थाओं के कर्मचारी एवं स्वायत्त निकायों।

एन.एस.डी.एल. के माध्यम से नामित निधि प्रबन्धक को समयबद्ध तरीके से सम्पूर्ण रूप से स्थानान्तरित किया जाए।

1.5.1.4 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय का विवरण सारणी 1.21 में प्रस्तुत किया गया है।


सारणी 1.21: पूंजीगत व्यय का विवरण

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पूंजीगत व्यय	53,297	64,423	69,789	39,088	62,463
पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	62.18	20.88	8.33	(-) 43.99	59.80
वर्तमान दर पर स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के आधार पर पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	5.27	5.67	5.59	2.84	4.05

(₹ करोड़ में)

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान पूंजीगत व्यय में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पूंजीगत व्यय में 44 प्रतिशत की महत्वपूर्ण कमी कृषि ऋण माफी हेतु पर्याप्त बजट प्रावधान के कारण हुई थी। वर्ष 2018-19 के दौरान वृद्धि के बावजूद, पूंजीगत व्यय वर्ष 2016-17 के स्तर को प्राप्त नहीं कर सका, जबकि राजस्व व्यय में वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2018-19 के मध्य 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चार्ट 1.9 में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 की अवधि में पूंजीगत व्यय के लिए बजट प्रावधान एवं इसके सापेक्ष वास्तविक पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।



वर्ष 2018-19 में, कुल ₹ 62,463 करोड़ के पूंजीगत व्यय में से राज्य सरकार ने ₹ 13,753 करोड़ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.), सांविधिक निगमों एवं सहकारी समितियों में निवेश किया, जिसमें से ₹ 13,409 करोड़ ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में ग्रामीण क्षेत्रों के त्वरित विद्युतीकरण कार्यक्रम, वितरण तथा पारेषण नेटवर्क के सुदृढीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में निजी नलकूपों के ऊर्जाकरण, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना आदि में अंश पूंजी के रूप में निवेशित किया गया। अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सड़कों एवं पुलों पर ₹ 19,816 करोड़, मुख्य सिंचाई पर ₹ 3,789 करोड़, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर ₹ 3,407 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) पर ₹ 2,597 करोड़, खाद्य भण्डारण एवं भण्डारागार पर ₹ 2,370 करोड़,

जल आपूर्ति एवं सफाई पर ₹ 2,222 करोड़, नागर विमानन पर ₹ 2,134 करोड़ तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर ₹ 2,054 करोड़ का व्यय किया गया।

1.5.2 व्यय की गुणवत्ता

1.5.2.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में विकास व्यय, सामाजिक सेवाओं पर व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय तथा पूंजीगत व्यय की सामान्य श्रेणी के राज्यों से तुलना सारणी 1.22 में प्रस्तुत की गयी है।

सारणी 1.22: वर्ष 2014-15 एवं 2018-19 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकताएं (प्रतिशत में)

राजकोषीय प्राथमिकता (सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशतता)		ए.ई./ स.रा.घ.उ.	डी.ई.#/ ए.ई.	एस.एस.ई. /ए.ई.	ई.एस.ई. /ए.ई.	सी.ई./ ए.ई.	शिक्षा/ ए.ई.	स्वास्थ्य/ ए.ई.
2014-15	सामान्य श्रेणी के राज्यों* का औसत (अनुपात)	15.99	68.51	36.15	32.36	14.02	16.54	4.92
	उत्तर प्रदेश	22.36	64.86	32.89	31.97	23.56	15.62	5.29
2018-19	सामान्य श्रेणी राज्यों* का औसत (अनुपात)	16.05	67.04	36.59	30.45	14.28	14.99	5.07
	उत्तर प्रदेश	24.02	60.39	27.63	32.76	16.86	13.13	4.89

ए.ई.: कुल व्यय, डी.ई.: विकास व्यय, एस.एस.ई.: सामाजिक सेवाओं पर व्यय, ई.एस.ई.: आर्थिक सेवाओं पर व्यय, सी.ई.: पूंजीगत व्यय।
* वर्ष 2018-19 में गोवा के आंकड़े पुनरीक्षित अनुमान पर आधारित हैं।
विकास व्यय में विकास पर राजस्व व्यय, विकास पर पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम संवितरण सम्मिलित हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान विकास व्यय, शिक्षा, स्वास्थ्य पर व्यय एवं सामाजिक सेवाओं पर व्यय का कुल व्यय के सापेक्ष अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम था। वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2018-19 में, पूंजीगत व्यय के साथ-साथ सामाजिक सेवाओं पर व्यय के अनुपात में कमी का कारण वर्ष 2014-19 की अवधि में कुल व्यय की वृद्धि दर (64 प्रतिशत) की तुलना में पूंजीगत व्यय (17 प्रतिशत) एवं सामाजिक सेवाओं पर व्यय (38 प्रतिशत) में कम वृद्धि दर थी।

1.5.2.2 व्यय में दक्षता

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का विवरण सारणी 1.23 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.23: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किये गये व्यय की दक्षता

सामाजिक/आर्थिक अवसंरचना	2017-18			2018-19		
	पूंजीगत व्यय का कुल व्यय में अनुपात	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)		पूंजीगत व्यय का कुल व्यय में अनुपात	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	
		वेतन एवं मजदूरी	परिचालन एवं अनुरक्षण		वेतन एवं मजदूरी	परिचालन एवं अनुरक्षण
योग (सामाजिक सेवायें)	12.08	50,533	393	10.34	52,903	266
योग (आर्थिक सेवायें)	27.31	11,544	4,567	39.92	12,554	4,308
योग (सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें)	19.46	62,077	4,960	26.39	65,457	4,574

सामाजिक/आर्थिक अवसंरचना	2017-18			2018-19		
	पूँजीगत व्यय का कुल व्यय में अनुपात	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)		पूँजीगत व्यय का कुल व्यय में अनुपात	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	
		वेतन एवं मजदूरी	परिचालन एवं अनुरक्षण		वेतन एवं मजदूरी	परिचालन एवं अनुरक्षण
सामाजिक सेवाओं के मुख्य घटक						
शिक्षा	1.99	40,757	13	2.04	42,136	16
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	12.49	8,050	152	12.48	8,836	151
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवासीय तथा नगरीय विकास	52.63	159	204	40.11	169	77
आर्थिक सेवाओं के मुख्य घटक						
कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	5.55	3,228	22	19.52	3,496	37
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	30.80	2,840	2,205	44.96	3,014	2,039
शक्ति एवं ऊर्जा	53.72	38	00	45.65	41	00
परिवहन	66.87	120	2,323	82.92	128	2,220

(स्रोत: वित्त लेखे एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा संकलित वी.एल.सी. आंकड़े वर्ष 2017-18 एवं 2018-19)

1.5.2.3 विकास एवं विकासेत्तर व्यय

राजस्व शीर्ष के व्यय, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किए जाते हैं। सामान्यतः सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किये गये व्यय विकास व्यय के अन्तर्गत आते हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय विकासेत्तर व्यय माना जाता है।

वर्ष 2014-19 की अवधि में सरकार द्वारा किये गये विकास एवं विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर सारणी 1.24 में प्रस्तुत की गयी है।

सारणी 1.24: विकास एवं विकासेत्तर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व व्यय	1,71,027	2,12,736	2,36,592	2,66,224	3,01,728
पूँजीगत व्यय	53,297	64,423	69,789	39,088	62,463
ऋण एवं अग्रिम	1,873	9,118	6,741	1,509	6,303
कुल व्यय	2,26,197	2,86,277	3,13,122	3,06,821	3,70,494
विकास व्यय	1,46,705	1,98,456	2,08,290	1,86,578	2,23,744
विकास व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	25	35	05	(-10)	20
विकासेत्तर व्यय	79,492	87,821	1,04,832	1,20,243	1,46,750
विकासेत्तर व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	6	10	19	15	22

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

1.6 शासकीय व्यय एवं निवेश

1.6.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली दर (राजस्व व्यय के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ) का निर्धारण इन परियोजनाओं की वाणिज्यिक

उपादेयता के आकलन हेतु किया गया था। वर्ष 2014-19 की अवधि में राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली दर की स्थिति सारणी 1.25 में प्रदर्शित है।

सारणी 1.25: सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली की स्थिति

वर्ष	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियाँ	तेरहवें (2010-15)/ चौदहवें (2015-20) वित्त आयोग द्वारा लागत वसूली का निर्धारण	राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ	लागत वसूली में अन्तर
₹ करोड़ में			प्रतिशत में		
2014-15	5,009	397	75	8	67
2015-16	4,891	651	35	13	22
2016-17	5,230	782	35	15	20
2017-18	6,706	953	35	14	21
2018-19	6,534	908	35	14	21

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन)

वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 की अवधि में लागत वसूली के अन्तर में एक प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि, चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों की तुलना में और सुधार की सम्भावना है।

संस्तुति: राज्य सरकार को सिंचाई परियोजनाओं पर लागत वसूली में अग्रेतर सुधार हेतु उपाय प्रारम्भ करने चाहिये।

1.6.2 अपूर्ण परियोजनाएँ

अपूर्ण कार्यों पर निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अपूर्ण कार्यों का विवरण, जैसा कि वित्त लेखे में दिया गया है, का सार सारणी 1.26 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.26: 31मार्च 2019 को अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक आंकलित लागत	पुनरीक्षित लागत वाले परियोजनाओं की संख्या	पुनरीक्षित परियोजनाओं की आंकलित लागत	
				प्रारम्भिक आंकलित लागत	पुनरीक्षित आंकलित लागत
लोक निर्माण विभाग (सड़कें एवं सेतु)	568	11,805	16	374	494
सिंचाई विभाग	24	411	02	36	38
योग	592	12,216	18	410	532

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2018-19 का परिशिष्ट IX)

कुल 592 अपूर्ण परियोजनाओं में से केवल 18 परियोजनाओं की आंकलित लागत पुनरीक्षित की गयी (आंकलित लागत में कुल वृद्धि 30 प्रतिशत)। चूँकि राज्य सरकार द्वारा शेष अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का मूल्यांकन नहीं किया गया अतः इन परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु निधियों की आवश्यकता का निर्धारण नहीं किया जा सका।

संस्तुति: वित्त विभाग एवं सम्बन्धित विभागों को समस्त अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए तथा अपूर्ण परियोजनाओं को नियत अवधि में पूर्ण करने हेतु प्रक्रिया तंत्र को विकसित करना चाहिए।

1.6.3 निवेश एवं प्रतिफल

वर्ष 2014-19 की अवधि में निवेशों पर प्रतिफल की स्थिति सारणी 1.27 में दर्शायी गयी है।

सारणी 1.27: निवेशों पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/लिये गये उधार की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्ष के अन्त तक निवेश ²⁰ (₹ करोड़ में)	58,606	84,357	96,400	1,04,779	1,18,532
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	8.08	42.66	86.34	30.84	175.48
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.01	0.05	0.09	0.03	0.15
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर औसत ब्याज दर ²¹ (प्रतिशत)	6.40	6.35	6.82	6.54	6.50
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर ब्याज दर एवं निवेशों पर प्राप्त ब्याज में अन्तर (प्रतिशत)	6.39	6.30	6.73	6.51	6.35
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर ब्याज दर एवं निवेशों पर प्राप्त प्रतिफल में अन्तर के कारण कल्पित हानि (₹ करोड़ में)	3,745	5,315	6,488	6,821	7,527

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

विगत पांच वर्षों में सरकार की ऋण लागत तथा विभिन्न संस्थानों की अंशपूंजी एवं ऋणपत्र में निवेश के प्रतिफल की दर में अन्तर के कारण राज्य सरकार को ₹ 29,896 करोड़ की कल्पित हानि हुई।

1.6.4 सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाएं

उ. प्र. प्रादेशीय औद्योगिक एवं निवेश निगम लिमिटेड (पिकप)²², द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को 60 सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं (पी.पी.पी.) का विवरण (वित्त लेखे भाग-1 का परिशिष्ट-जी), जिनमें डेवलपर का चयन किया जा चुका है, उपलब्ध कराया गया, इनमें ₹ 91,609.13 करोड़ की धनराशि निहित थी।

1.6.5 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कम्पनियों में निवेश के साथ-साथ राज्य सरकार इनमें से कई संस्थाओं/संगठनों, सरकारी कर्मचारियों को प्रदत्त ऋण तथा अग्रिम सहित, को ऋण तथा अग्रिम भी उपलब्ध करा रही थी। विवरण सारणी 1.28 में दर्शाया गया है।

²⁰ सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, सहकारी समितियों एवं बैंक।

²¹ ब्याज भुगतान / [(विगत वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं) / 2] x 100

²² पिकप राज्य सरकार का वित्तीय संस्थान है।

सारणी 1.28: राज्य सरकार को ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
ऋणों एवं अग्रिमों के प्रारंभिक अवशेष	12,456	14,067	22,459	28,447	29,720
वर्ष के दौरान अग्रिम धनराशि	1,873	9,118	6,741	1,509	6,303
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतानित धनराशि	262	726	259	236	5,313
ऋणों एवं अग्रिमों के अन्तिम अवशेष	14,067	22,459	28,447	29,720	30,710
ऋणों एवं अग्रिमों में निवल वृद्धि	1,611	8,392	5,988	1,273	990
ब्याज प्राप्तियाँ	14	26	566	606	624
बकाया ऋणों एवं अग्रिमों के सापेक्ष ब्याज प्राप्तियों की प्रतिशतता ²³	0.11	0.14	2.22	2.08	2.07
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर औसत ब्याज दर ²⁴ (प्रतिशत)	6.40	6.35	6.82	6.54	6.50
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर ब्याज दर और ऋणों पर प्राप्त ब्याज की दर के मध्य अन्तर (प्रतिशत में)	6.29	6.21	4.60	4.46	4.43
वर्ष के दौरान सरकार द्वारा लिये गये उधार पर ब्याज दर और संवितरित ऋणों पर प्राप्त ब्याज के मध्य अन्तर के कारण कल्पित हानि (₹ करोड़ में)	118	566	310	67	279

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष के दौरान कुल पुनर्भुगतानित धनराशि (₹ 5,313 करोड़) में से ₹ 4,892 करोड़ (92 प्रतिशत) ऊर्जा विभाग द्वारा पुनर्भुगतानित किये गये थे। विगत पाँच वर्षों की अवधि में राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों से प्राप्त ब्याज तथा लिये गये उधार पर भुगतानित ब्याज की दर में अन्तर के कारण राज्य सरकार को ₹ 1,340 करोड़ की कल्पित हानि हुई।

सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों का विस्तृत विवरण वित्त लेखे के **विवरण-18 के भाग एक** में दिया गया है तथा उन इकाइयों, जिनके सापेक्ष ऋण के पुनर्भुगतान अवशेष थे, का विवरण वित्त लेखे के **विवरण-18 के भाग दो** में दिया गया है।

संस्तुति: राज्य सरकार को अपने निवेश तथा विभिन्न इकाइयों को दिये गये ऋण को इस प्रकार तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे निवेश तथा ऋण पर प्रतिफल कम से कम सरकार की ऋण लागत से मेल खाये।

1.6.6 रोकड़ अवशेष एवं रोकड़ अवशेषों का निवेश

रोकड़ अवशेष तथा रोकड़ अवशेषों के निवेश का विवरण **सारणी 1.29** में दर्शाया गया है।

²³ ब्याज प्राप्ति / [(ऋण एवं अग्रिम का, प्रारम्भिक अवशेष + अन्तिम अवशेष) / 2] x 100

²⁴ ब्याज भुगतान / [(विगत वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं) / 2] x 100

सारणी 1.29: रोकड़ अवशेष एवं रोकड़ अवशेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2018 को प्रारम्भिक अवशेष	31 मार्च 2019 को अन्तिम अवशेष
(अ) सामान्य रोकड़ अवशेष		
कोषागारों में रोकड़	00	00
रिजर्व बैंक के पास जमा	265.21	171.10
मार्गस्थ प्रेषण—स्थानीय	00	00
योग	265.21	171.10
रोकड़ अवशेष निवेश लेखा में रखे गये निवेश	11,159.38	26,684.36
योग (अ)	11,424.59	26,855.46
(ब) अन्य रोकड़ अवशेष एवं निवेश		
विभागीय अधिकारियों यथा लोक निर्माण विभाग के विभागीय अधिकारी, वन विभाग के विभागीय अधिकारी, जिलाधिकारी के पास रोकड़	10.87	10.96
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.49	0.49
उद्दिष्ट निधियों के निवेश	45.20	45.20
योग (ब)	56.56	56.65
महायोग (अ)+ (ब)	11,481.15	26,912.11

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2018-19)

वर्ष 2018-19 में, रोकड़ अवशेष निवेश लेखे में निवेश राशि का प्रारंभिक अवशेष ₹ 11,159.38 करोड़ था। इस अवधि में ₹ 5,44,061.14 करोड़ के ट्रेजरी बिल एवं ₹ 79.67 करोड़ के भारत सरकार की दीर्घकालिक प्रतिभूतियों का क्रय किया गया और इन्हीं मदों में क्रमशः ₹ 5,28,532.26 करोड़ एवं ₹ 83.57 करोड़ के इन लेखपत्रों की बिक्री की गयी तथा वर्ष के अन्त में खाते में ₹ 26,684.36 करोड़ की राशि अवशेष थी। भारत सरकार की दीर्घकालिक प्रतिभूतियों एवं ट्रेजरी बिल्स में निवेश पर क्रमशः ₹ 1,070.23 करोड़ और ₹ 18.33 करोड़ ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ था।

रोकड़ अवशेष निवेश लेखा के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार के ट्रेजरी बिलों के लेनदेनों में राज्य सरकार द्वारा निवेश, वर्ष 2015-16 में ₹ 1,43,679 करोड़ से लगातार बढ़ते हुए वर्ष 2018-19 में ₹ 5,44,061 करोड़ हो गया। रोकड़ अवशेष निवेश खाते में नकद आधिक्य में भी विगत तीन वर्षों की अवधि में ₹ 888 करोड़ (31 मार्च 2017) से ₹ 26,855 करोड़ (31 मार्च 2019) की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 में राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने हेतु ₹ 46,000 करोड़ का बाजार ऋण लिया था। अतः नकद आधिक्य के अवशेष का उपयोग करते हुए बाजार ऋण के परिमाण और इसके फलस्वरूप आंतरिक ऋण पर ब्याज के भार को कम किये जाने की सम्भावना थी।

1.6.7 रोकड़ अवशेष में भिन्नता

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत अवशेषों के सत्यापन प्रमाण-पत्र के अनुसार, माह मार्च 2019 के लिये राज्य का क्रेडिट अवशेष ₹ 122.02 करोड़ था जबकि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रमाणित अन्तिम रोकड़ अवशेष ₹ 171.10 करोड़ था। इस प्रकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा आगणित एवं भारतीय रिजर्व

बैंक द्वारा सूचित (31.03.2019 को) राज्य सरकार के रोकड़ अवशेष में, विगत वर्षों के अवशेषों सहित, ₹ 49.08 करोड़ का अन्तर था, जिसका मिलान प्रक्रियाधीन था।

राज्य सरकार द्वारा बताया गया (जुलाई 2020) कि कोषागारों को रोकड़ अवशेष में भिन्नता का मिलान करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं तथा वे भिन्नता के मिलान की प्रक्रिया में हैं।

1.7 परिसम्पत्तियाँ एवं देयतायें

1.7.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं में वृद्धि एवं संघटन

यद्यपि सरकारी लेखाकरण पद्धति में स्थायी परिसम्पत्तियों जैसे भूमि तथा भवन, जिनका स्वामित्व सरकार के पास है, का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है, किन्तु किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों तथा वित्तीय देयताओं के लेखांकन से इन्हें निकाला जा सकता है। 31 मार्च 2018 के सापेक्ष 31 मार्च 2019 को ऐसी सम्पत्तियों तथा दायित्वों का समतुल्य सार **परिशिष्ट 1.7** में दिया गया है। जबकि दायित्व के अन्तर्गत मुख्यतः आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम और लोक लेखे तथा आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं, सम्पत्तियों के अन्तर्गत मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम और रोकड़ अवशेष सम्मिलित हैं।

1.7.2 आरक्षित निधियों के अन्तर्गत लेन-देन

वर्ष 2018-19 में, राज्य सरकार ने राज्य के लोक लेखे के अन्तर्गत विभिन्न आरक्षित निधियों में, जो विशिष्ट उद्देश्यों हेतु सृजित थीं, ₹ 13,545 करोड़ का निवल अन्तरण किया। विवरण **परिशिष्ट 1.8** में दिया गया है एवं **सारणी 1.30** में सारांशीकृत किया गया है।

सारणी 1.30: वर्ष 2018-19 में आरक्षित निधियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को प्रारम्भिक अवशेष	2018-19 में प्राप्तियाँ	2018-19 में संवितरण	31 मार्च 2019 को अन्तिम अवशेष
(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ					
1	8115-मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि निवेश	0.00 (-) 44.42	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 (-) 44.42
	योग (अ) निवेश	0.00 (-) 44.42	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 (-) 44.42
(ब) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ					
1	8222-निक्षेप निधि	57,469.62	26,403.95	12,693.33	71,180.24
2	8223-अकाल राहत निधि निवेश	0.00 (-) 0.78	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 (-) 0.78
3	8225-सड़क एवं सेतु निधि	(-)321.46	3,000.00	2,949.53	(-)270.99
4	8226-मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	(-)7.99	0.00	0.00	(-)7.99
5	8229-विकास एवं कल्याण निधि	962.80	0.20	191.24	771.76
6	8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	1,177.10	692.95	718.30	1,151.75
	योग (ब) निवेश	59,280.07 (-) 0.78	30,097.10 0.00	16,552.40 0.00	72,824.77 (-) 0.78
	महायोग निवेश	59,280.07 (-) 45.20	30,097.10 0.00	16,552.40 0.00	72,824.77 (-) 45.20

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2018-19)

दिनांक 31 मार्च 2019 को 35 आरक्षित निधियों में से 14 संचालित थीं जिसमें ₹ 72,804 करोड़ अवशेष थे तथा 21 असंचालित निधियां थीं जिसमें ₹ 21 करोड़ (शून्य अवशेष वाली 18 निधियों सहित) अवशेष था। वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार ने विभिन्न आरक्षित निधियों में ₹ 13,544.70 करोड़ का निवल अन्तरण किया था। यह सभी लेनदेन पुस्तकीय समायोजन के रूप में थे। आरक्षित निधियों में से कोई निवेश नहीं किया गया था, केवल दो असंचालित आरक्षित निधियों को छोड़कर जिनके सापेक्ष ₹ 45.20 करोड़ की धनराशि मुख्य शीर्ष 8115—मूल्यहास आरक्षित निधि (₹ 44.42 करोड़) तथा मुख्य शीर्ष 8223—अकाल राहत निधि (₹ 0.78 करोड़) का निवेश दशकों पूर्व किया गया था। अग्रेतर, 8225—सड़क एवं सेतु निधि तथा 8226—हास/नवीनीकरण विशिष्ट आरक्षित निधियों के अन्तर्गत ऋणात्मक अवशेष थे जिन्हें समेकित निधि से विनियोग द्वारा विनियमित कराये जाने की आवश्यकता है। कुछ आरक्षित निधियों के लेनदेनों के सम्बन्ध में विस्तृत विश्लेषण आगे के प्रस्तारों में किया गया है।

1.7.2.1 निक्षेप निधि

समेकित निक्षेप निधि का सृजन

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्य सरकार को बकाया दायित्वों²⁵ के परिहार हेतु समेकित निक्षेप निधि (स.नि.नि.) का सृजन करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, जो स.नि.नि. के प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी है, के दिशानिर्देशों के अनुसार, इसमें विगत वित्तीय वर्ष के अन्त में बकाया दायित्वों के 0.5 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक अंशदान किया जाना चाहिए। तथापि, राज्य सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार स.नि.नि. (वर्तमान निधि को सम्मिलित करते हुये) का गठन नहीं किया।

वर्तमान निक्षेप निधि का संचालन

वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा ₹ 26,404 करोड़ का विनियोग राजस्व लेखे (मुख्य शीर्ष 2048—ऋण में कमी या परिहार के लिए विनियोग) से लोक लेखा के अन्तर्गत निक्षेप निधि (मुख्य शीर्ष 8222) में पुस्तकीय अन्तरण द्वारा किया गया। अग्रेतर, इस निधि में से, वर्ष 2018-19 में, निक्षेप निधि से बिना किसी नकद बहिर्प्रवाह के बाजार ऋण के पुनर्भुगतान के समतुल्य, ₹ 12,693 करोड़ की राशि को, समेकित निधि के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों (मुख्य शीर्ष 0075—विविध सामान्य सेवाओं) के अन्तर्गत अन्तरित एवं क्रेडिट किया गया। निक्षेप निधि से राजस्व प्राप्ति शीर्ष में अवशेषों का अन्तरण संघ तथा राज्य लेखे के मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुकूल नहीं था। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, ऋण के परिपक्व होने पर ऋण के पुनर्भुगतान की समान राशि को निक्षेप निधि (मुख्य शीर्ष 8222) से अन्तरित करके शीर्ष '8680-विविध शासकीय खाता-101—लेजर अवशेष समायोजन लेखा' को क्रेडिट किया जाना चाहिए।

निक्षेप निधि से राजस्व लेखे में ₹ 12,693 करोड़ की धनराशि को अन्तरित किये जाने से वर्ष के राजस्व आधिक्य में अतिशयता हुई। ऐसे अन्तरण के कारण राजस्व आधिक्य

²⁵ राज्य सरकार के आन्तरिक ऋणों एवं लोक लेखे दायित्वों के द्वारा परिभाषित।

में हुई अतिशयता को पूर्ववर्ती राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित किया गया था, तथापि, त्रुटिपूर्ण लेखाकरण की परिपाटी जारी रही।

राज्य सरकार द्वारा निक्षेप निधि के सापेक्ष लेनदेन केवल पुस्तकीय प्रविष्टियाँ थीं जो रोकड़ के वास्तविक लेनदेन को प्रदर्शित नहीं करतीं। 31 मार्च 2019 तक निक्षेप निधि के अन्तिम अवशेष ₹ 71,180 करोड़ का निवेश नहीं किया गया।

संस्तुति: राज्य सरकार को बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करने पर विचार करना चाहिए एवं आर.बी.आई. द्वारा निवेश की जाने वाली समेकित निक्षेप निधि का सृजन किया जाना चाहिये। अग्रेतर, निधि से स्थानान्तरित धनराशि को राजस्व प्राप्ति नहीं माना जाना चाहिए एवं ऋण के मोचन पर पुनर्भुगतानित ऋण के समान राशि निक्षेप निधि से मुख्य शीर्ष 8680 में अन्तरित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधि की अवशेष राशि वास्तव में निवेश की जाये और वह मात्र पुस्तकीय प्रविष्टि न हो।

1.7.2.2 राज्य सड़क निधि

राज्य सरकार ने सड़कों के अनुरक्षण, नवीनीकरण, सुदृढीकरण एवं निर्माण के लिए राज्य सड़क निधि (एस.आर.एफ.) की स्थापना (जनवरी 2000)²⁶ की, जिसे ब्याज रहित आरक्षित निधि के अधीन मुख्य शीर्ष 8225 सड़क और सेतु निधि-02-101 राज्य सड़क एवं सेतु निधि-01-एस.आर.एफ. के अन्तर्गत रखा गया। एस.आर.एफ. नियमों के अन्तर्गत इस निधि के लिए संसाधनों का प्रबन्ध डीजल एवं पेट्रोल पर बिक्री कर में क्रमशः 16 से 20 प्रतिशत एवं 14 से 20 प्रतिशत की वृद्धि कर किया गया तथा इस प्रकार प्राप्त अतिरिक्त धनराशि को उस सीमा तक राज्य सड़क निधि को दिया जाना है जिस सीमा तक राज्य सरकार द्वारा दिया जाना उचित समझा जाये।

वर्ष 2018-19 में, राज्य सरकार ने राजस्व और पूंजीगत व्यय से सम्बन्धित क्रमशः ₹ 1,500 करोड़ मुख्य शीर्ष 3054 एवं ₹ 1,500 करोड़ मुख्य शीर्ष 5054 का प्रावधान राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत किया और इन राशियों को आरक्षित निधि मुख्य शीर्ष 8225—सड़क एवं सेतु निधि में स्थानान्तरित कर दिया। कुल ₹ 3,000 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष ₹ 2,949.53 करोड़ का वितरण एस.आर.एफ. से किया गया तथा कटौती प्रविष्टियाँ क्रमशः मुख्य शीर्ष 3054 एवं मुख्य शीर्ष 5054 के अन्तर्गत पुस्तांकित की गयी थी। लेखापरीक्षा में संज्ञान में आया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यशीर्ष 3054/5054 एवं मुख्य शीर्ष 8225—सड़क एवं सेतु निधि के मध्य कई वर्षों से इस प्रकार समान अन्तरण एवं प्रतिकूल अन्तरण किया जा रहा था।

अग्रेतर, मार्च 2019 के अन्त में निधि में ₹ 270.99 करोड़ का ऋणात्मक अवशेष था, जो उपलब्ध अवशेष के सापेक्ष अधिक वितरण का संकेत देता है। यह ऋणात्मक आंकड़ा वर्ष 2014-15 एवं उसके परवर्ती वर्षों के लेखे से प्रदर्शित हो रहा है।

²⁶ एस.आर.एफ. को मार्च 2009 में समाप्त कर दिया गया था परन्तु जनवरी 2013 में पूर्व प्रभाव से मार्च 2009 से पुनःस्थापित किया गया एवं व्यय के लिये पूंजीगत प्रकृति के कार्यों को भी अनुमन्य किया गया।

संस्तुति : वित्त विभाग द्वारा मुख्यशीर्ष 8225—सड़क एवं सेतु निधि के अन्तर्गत सड़क एवं सेतु की आरक्षित निधि के रख-रखाव की आवश्यकता का परीक्षण किया जाना चाहिए एवं सड़क एवं सेतु निधि के ऋणात्मक अवशेष को अविलम्ब नियमित किया जाना चाहिए।

1.7.2.3 राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (रा.आ.अ.नि)

रा.आ.अ.नि. का लेखांकन ब्याज युक्त आरक्षित निधि के रूप में न किया जाना

भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2010 से पूर्ववर्ती आपदा राहत निधि को राज्य आपदा अनुक्रिया निधि (रा.आ.अ.नि.) से प्रतिस्थापित किया गया। रा.आ.अ.नि. के दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रावधानित है।

- निधि को “ब्याज युक्त आरक्षित निधि” की श्रेणी के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों-122-राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के अधीन संचालित किया जाना चाहिए।
- भारतीय रिजर्व बैंक के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के अनुसार ओवरड्राफ्ट पर लागू ब्याज दर से राज्य सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. को ब्याज का भुगतान किया जायेगा।

तथापि यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. को “ब्याज रहित आरक्षित निधि” की श्रेणी के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8235—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ-111-राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के अधीन संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निधि के अवशेषों का निवेश भी नहीं किया गया है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, निधि में ₹ 390.51 करोड़ का योगदान किया गया, जिसमें 75:25 के अनुपात में केंद्र सरकार द्वारा ₹ 292.88 करोड़ और राज्य सरकार द्वारा ₹ 97.63 करोड़ का योगदान किया गया। इसके अतिरिक्त बकाया के रूप में केन्द्रांश ₹ 58.58 करोड़ तथा राज्यांश ₹ 5.86 करोड़ (90:10 के अनुपात में) का योगदान भी निधि में किया गया था।

राज्य आपदा अनुक्रिया निधि के दिशानिर्देशों के प्रस्तर 4 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. को ब्याज का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के अनुसार, ओवरड्राफ्ट पर लागू ब्याज दर पर अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जाना है। वर्ष 2018-19 के प्रारम्भ में, रा.आ.अ.नि. में ₹ 999.95 करोड़ का अवशेष था, इसलिए 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा इस अवशेष राशि पर कुल ब्याज ₹ 106.22 करोड़ (ओवरड्राफ्ट पर 8.25 प्रतिशत औसत ब्याज दर पर अर्द्धवार्षिक आधार पर आंकलित) का भुगतान किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार रा.आ.अ.नि. के अनिवेशित निधि अवशेषों पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था।

राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि (एन.डी.आर.एफ.) के दिशानिर्देशों (जुलाई 2015) के अनुसार, जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण रा.आ.अ.नि. के अन्तर्गत उपलब्ध अवशेष से

अधिक खर्च की आवश्यकता हो, तो भारत सरकार एन.डी.आर.एफ. से राज्यों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है, जिसके लिये राज्य के अंश की आवश्यकता नहीं होती है। दिशा निर्देशों के प्रस्तर 11.3 एवं 11.4 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा अपने बजट के व्यय पक्ष में लेखाशीर्ष 2245-80-103 के अन्तर्गत समुचित बजट प्रावधान किया जायेगा तथा एन.डी.आर.एफ. से किये गये वास्तविक व्यय को इसके अन्तर्गत पुस्तांकित किया जाना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा लोक लेखे से सीधे व्यय नहीं किया जाना चाहिये।

वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार ने ₹ 157.23 करोड़ की धनराशि राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से प्राप्त की जिसे मुख्य शीर्ष 1601-भारत सरकार से सहायता अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित किया गया एवं प्राप्ति के रूप में माना गया। तथापि, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 2245-80-103-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से सहायता के अन्तर्गत न कोई बजट प्रावधान किया गया और न ही कोई व्यय पुस्तांकित किया गया। अतः वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि से प्राप्त ₹ 157.23 करोड़ का अनुदान राज्य आपदा अनुक्रिया निधि में स्थानान्तरित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, ₹ 157.23 करोड़ से राज्य सरकार के राजस्व आधिक्य में अतिशयता एवं राजकोषीय घाटे में न्यूनता हुई।

संस्तुति: राज्य सरकार द्वारा रा.आ.अ.नि. की अवशेष राशि को "ब्याज सहित आरक्षित निधि" के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधि के अधीन स्थानान्तरित किया जाना चाहिए एवं रा.आ.अ.नि. के दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जित ब्याज को निधि में जमा किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को दिशानिर्देशों में निर्धारित शैली में निधि के अवशेषों का निवेश करने की भी आवश्यकता है।

1.7.3 आकस्मिक देयताएं-प्रत्याभूतियों की स्थिति

1.7.3.1 प्रत्याभूति विमोचन निधि

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार, प्रत्याभूतियों के प्रतिदान के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन किया जाना अपेक्षित था। तथापि राज्य सरकार ने प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन नहीं किया। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश 2013 के अन्तर्गत, इनके द्वारा ₹ 453.91 करोड़ का न्यूनतम वार्षिक अंशदान (वर्ष 2018-19 के प्रारम्भ की बकाया प्रत्याभूति ₹ 90,781.57 करोड़²⁷ का 0.5 प्रतिशत) किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया। इसके प्रभाव से ₹ 453.91 करोड़ से राजस्व आधिक्य में अतिशयता तथा राजकोषीय घाटे में न्यूनता रही।

वित्त लेखे के विवरण-नौ के अनुसार, सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि एवं विगत तीन वर्षों से बकाया प्रत्याभूतियों का विवरण सारणी 1.31 में दर्शाया गया है।

²⁷ बकाया प्रत्याभूतियों के वर्ष 2017-18 के अन्तिम अवशेष (₹ 74,841.22 करोड़) एवं वर्ष 2018-19 के प्रारम्भिक अवशेष (₹ 90,781.57 करोड़) में ₹ 15,940.35 करोड़ का अन्तर है, जिनका मिलान प्रक्रियाधीन है।

सारणी 1.31: सरकार द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19
प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि (मूलधन)	66,702	74,303	90,662
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	2,56,875	2,78,775	3,29,978
वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूतियों की राशि	55,825	74,841	1,10,032
कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि की प्रतिशतता	25.97	26.65	27.48

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

प्रत्याभूति की अधिकतम राशि के घटक थे: चार ऊर्जा क्षेत्र की इकाइयाँ (₹ 62,702 करोड़), दो सहकारिता विभाग की इकाई (₹ 4,083 करोड़) एवं अन्य क्षेत्रों के 17 संस्थान (₹ 23,877 करोड़)।

1.7.3.2 प्रत्याभूति शुल्क

राज्य सरकार द्वारा 23 संस्थानों को प्रत्याभूतियाँ दी गयीं जिनमें से 21 संस्थानों को प्रत्याभूति शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी। यह संज्ञान में आया कि वर्ष 2018-19 में प्राप्य प्रत्याभूति शुल्क (₹10.46 करोड़) दो संस्थानों यथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक एवं निवेश निगम लिमिटेड (₹ 0.72 करोड़) एवं राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 9.74 करोड़) से प्राप्त नहीं हुआ था।

संस्तुति: बारहवें वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार को प्रत्याभूति विमोचन निधि का सृजन एवं संचालन करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति शुल्क को तत्परता से प्राप्त करना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये। सरकार द्वारा उन संस्थानों को वित्तीय सहयोग रोक दी जानी चाहिये जिनके द्वारा प्रत्याभूति शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है एवं/अथवा जिनके लेखे भी बकाया हैं।

1.8 ऋण प्रबन्धन

1.8.1 राज्य सरकार की राजकोषीय दायित्वों के संघटक

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की अवधि में राज्य सरकार के राजकोषीय दायित्वों के संघटकों का विवरण सारणी 1.32 में दिया गया है।

सारणी 1.32 : राज्य सरकार के राजकोषीय दायित्वों के संघटक

ऋण का प्रकार	अवशेष (₹ करोड़ में)				
	31 मार्च 2015	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019
(अ) लोक ऋण					
राज्य सरकार के आंतरिक ऋण ²⁸	1,83,192	2,40,836	2,88,627	3,21,479	3,53,190
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	14,462	13,658	13,250	12,812	11,980
योग (अ)	1,97,654	2,54,494	3,01,877	3,34,291	3,65,170

²⁸ आन्तरिक ऋण में वित्तीय संस्थानों से ऋण एवं बाजार ऋण शामिल हैं, जैसे: भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषक बैंक तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सहकारी बैंक तथा अन्य संस्थाएँ।

ऋण का प्रकार	अवशेष (₹ करोड़ में)				
	31 मार्च 2015	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019
(ब) अन्य लोक लेखा दायित्व					
लघु बचत, भविष्य निधि	45,121	46,655	48,238	50,768	54,413
आरक्षित निधियाँ	41,230	43,790	51,015	59,280	72,824
जमा	23,855	22,312	22,094	23,503	25,688
योग (ब)	1,10,206	1,12,757	1,21,347	1,33,551	1,52,925
राज्य सरकार के कुल ऋण स्टॉक²⁹	3,07,860	3,67,251	4,23,224	4,67,842	5,18,095

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की अवधि में, सरकार का कुल ऋण स्टॉक ₹ 2,81,709 करोड़ (1 अप्रैल 2014) से बढ़कर ₹ 5,18,096 करोड़ (31 मार्च 2019) हो गया। लोक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल सारणी 1.33 में वर्णित है।

सारणी 1.33: लोक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल (₹ करोड़ में)

परिपक्वता वर्ष	आंतरिक ऋण	भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम	योग	प्रतिशत
2019-20	23,703	1,576	25,279	6.92
2020-21	23,074	1,598	24,672	6.76
2021-22	27,026	1,606	28,632	7.84
2022-23	20,378	1,606	21,984	6.02
2023-24	18,533	1,622	20,155	5.52
2024-25	27,631	559	28,190	7.72
2025-26	38,813	410	39,223	10.74
2026-27	48,509	393	48,902	13.39
2027-28	48,866	391	49,257	13.49
2028-29	53,012	368	53,380	14.62
2029-30 से आगे	22,539	2,245	24,784	6.79
राज्य सरकार से समाधान के अधीन	1,106	(-)394	712	0.19
योग	3,53,190	11,980	3,65,170	100.00

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2018-19)

लोक ऋण की परिपक्वता प्रोफाइल से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के ऋण स्टॉक की परिपक्वता के कारण वर्ष 2024-25 से ऋण विमोचन दबाव बढ़ने की सम्भावना है जो कि वर्ष 2028-29 में अधिकतम पर पहुंच जाएगा।

²⁹ सारणी 1.32 में वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 के दौरान ऋण स्टॉक में उज्ज्वल डिस्कॉम बीमा योजना के लिए ऋण शामिल है जिससे कि वित्त लेखा के आकड़ों का मिलान किया जा सके। ऋण स्टॉक उज्ज्वल डिस्कॉम बीमा योजना के ऋण ₹ 3,42,920 करोड़ (2015-16) तथा ₹ 4,08,422 करोड़ (2016-17) को छोड़ कर था, जो वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 के लिए ऋण स्थिरता और अन्य राजकोषीय मापदण्डों की गणना के लिए लिया गया है।

1.8.2 उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता

वर्ष 2014-19 की अवधि में लोक ऋण और लोक लेखे देयताओं के अन्तर्गत प्राप्तियों एवं पुनर्भुगतान के आधार पर निधियों की निवल उपलब्धता का विवरण सारणी 1.34 में दिया गया है।

सारणी 1.34: लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के लेखे के अन्तर्गत निधि की निवल उपलब्धता

विवरण	(₹ करोड़ में)				
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लोक ऋणों एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	71,455	1,13,502	1,13,172	90,052	1,13,504
लोक ऋणों एवं अन्य दायित्वों के अन्तर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	64,103	75,557	84,034	74,570	95,293
उपलब्ध निवल निधियाँ	7,352	37,945	29,138	15,482	18,211
लोक ऋणों की प्राप्तियों के सापेक्ष उपलब्ध निवल निधियों की प्रतिशतता	10.29	33.43	25.75	17.19	16.04

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि सारणी 1.34 से स्पष्ट है, कि वर्ष 2018-19 में उधार ली गई निधियों के 83.96 प्रतिशत का उपयोग मौजूदा दायित्वों के निर्वहन के लिए किया गया एवं राज्य के पूंजी निर्माण/ विकास गतिविधियों के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सका।

1.8.3 ऋण संवहनीयता

राजकोषीय दायित्वों को संवहनीय माना जाता है यदि सरकार निकट भविष्य में इन दायित्वों के स्टॉक को सेवित करने में सक्षम है एवं ऋण स.रा.घ.उ. का अनुपात अप्रबन्धनीय अनुपात में न बढ़ता हो। डोमर मॉडल लोक ऋणों के विश्लेषण के मॉडलों में से एक मॉडल है, जो यह बताता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ऋण पर ब्याज की दर से अधिक हो तो ऋण स.घ.उ. अनुपात स्थिर रहने की संभावना होती है। सारणी 1.35 डोमर संवहनीयता की स्थिति को दर्शाती है।

सारणी 1.35 : डोमर मॉडल के अन्तर्गत ऋण संवहनीयता के मानदंड

जी-आर (जी-वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर, आर-वास्तविक ब्याज दर) डोमर अंतर कहलाता है	एस<0 (प्राथमिक घाटा)	एस>0 (प्राथमिक अधिशेष)
जी-आर>0 (मजबूत आर्थिक वृद्धि)	लोक ऋण का स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में स्थिर मूल्य की ओर झुकाव अर्थात् संवहनीय। ऋण के स्टॉक के आधार स्थिर स्तर शून्य की ओर पहुँचने के लिए यह समयानुसार या तो बढ़ेगा अथवा घटेगा।	लोक ऋण को स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में शून्य के नीचे स्थिर स्तर तक अभिमुख होना चाहिए जिससे लोक बचत हो।
जी-आर<0 (धीमी आर्थिक वृद्धि)	स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में लोक ऋण बिना स्थिर स्तर तक अभिसरण किए, अनिश्चित अवधि के लिए अवश्य बढ़ेगा।	अपरिभाषित परिस्थिति।

डोमर विश्लेषण को उत्तर प्रदेश पर लागू करने से स्पष्ट हुआ कि राजकोषीय दायित्वों को एक स्थिर स्तर तक अभिसरण करना चाहिए, जैसा कि सारणी 1.36 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.36 : अवधि 2014-19 में राज्य के ऋण स्टाक की संवहनीयता

वर्ष	वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर (जी)	वास्तविक ब्याज दर (आर)	डोमर अंतर (जी-आर)	प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+)
	(प्रतिशत में)			(₹ करोड़ में)
2014-15	4.03	0.47	3.56	(-) 13,648
2015-16	8.78	2.28	6.50	(-) 12,695
2016-17	7.31	2.50	4.81	(-) 14,251
2017-18	6.99	4.19	2.80	(+) 1,326
2018-19	6.46	2.72	3.74	(-) 3,161

■ वास्तविक अर्थात् स्थिर मूल्यों पर स.रा.घ.उ. को वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर आगणित किया गया है।
 ■ राजकोषीय देयताओं पर औसत ब्याज दर में से मुद्रास्फीति को घटा कर वास्तविक ब्याज दर की गणना की गई है। औसत मुद्रास्फीति की गणना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के वेबसाइट पर वास्तविक श्रृंखला (2012) पर उत्तर प्रदेश हेतु उपलब्ध मासिक मुद्रास्फीति दर के संदर्भ में की गई है। राज्य के लिए औसत मुद्रास्फीति 5.93 प्रतिशत (2014-15), 4.07 प्रतिशत (2015-16), 4.32 प्रतिशत (2016-17), 2.35 प्रतिशत (2017-18) एवं 3.78 प्रतिशत (2018-19) निकाली गई है।

प्रारंभिक तीन वर्षों (2014-15 से 2016-17) में, प्राथमिक घाटा था जो वर्ष 2017-18 में प्राथमिक आधिक्य में परिवर्तित हो गया परन्तु वर्ष 2018-19 में पुनः प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की संपूर्ण अवधि के दौरान डोमर अन्तर (जी-आर) धनात्मक था। डोमर मॉडल के अन्तर्गत ऋण संवहनीयता की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, जैसा कि सारणी 1.35 में दिया गया है, राज्य सरकार के राजकोषीय दायित्वों ने ऋण संवहनीयता (जी-आर >0) की शर्तों को संतुष्ट किया। यद्यपि, यह उल्लेखनीय है कि डोमर अन्तर (जी-आर) में एक स्थिर या निरन्तर बढ़ती प्रवृत्ति नहीं पाई गई। डोमर अन्तर को इस तथ्य के साथ अग्रेतर देखा जाना चाहिए कि वर्ष 2018-19 में, 74.2 प्रतिशत आन्तरिक ऋण³⁰ की 2.72 प्रतिशत औसत की वास्तविक ब्याज दर के सापेक्ष आठ प्रतिशत से अधिक ब्याज दरों (वास्तविक ब्याज दर 4.22 प्रतिशत) पर उधार लिया गया था। इसके अतिरिक्त, अन्य कारकों जैसे लोक लेखे की देयताएं, अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएं, और/या राजस्व के किसी अन्य गैरसूचीबद्ध घाटे को भी राज्य की ऋण संवहनीयता/स्थिरता का आकलन करते समय गणना में लिया जाना चाहिए³¹।

राजकोषीय घाटा और ऋण संवहनीयता

राजकोषीय संवहनीयता के उपरोक्त संदर्भ में, तेरहवें वित्त आयोग ने ऋण संवहनीयता को ऋण-स.घ.उ. अनुपात के रूप में एवं राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान के रूप में भी परिभाषित किया। चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) ने केंद्र और राज्य सरकार के लिए राजकोषीय समेकन हेतु संस्तुति की थी एवं स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटे और ऋण स्टॉक के लिए सीमा का निर्धारण किया था।

³⁰ राजकोषीय दायित्वों का 68.2 प्रतिशत आन्तरिक ऋण है।

³¹ चूंकि इसे सांख्यिकी रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसे विश्लेषण में तथ्य में नहीं दिया गया।

चौ.वि.आ. की संस्तुतियों के दृष्टिगत, उत्तर प्रदेश सरकार ने एफ.आर.बी.एम अधिनियम, 2004 में संशोधन (मार्च 2016) किया। यू.पी.एफ.आर.बी.एम (संशोधित) अधिनियम, 2016 के अनुसार वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक प्रत्येक वर्ष के राजकोषीय घाटे को अनुमानित स.रा.घ.उ. के सापेक्ष तीन प्रतिशत से अधिक नहीं रखा जाना है। संशोधित एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में यह भी प्राविधानित था कि कुल ऋण स्टॉक को अनुमानित स.रा.घ.उ. के सापेक्ष 31 प्रतिशत (वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 में) एवं 30.50 प्रतिशत (वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में) और 30 प्रतिशत (वर्ष 2019-20) से अधिक नहीं रखा जाना है।

चौ.वि.आ. के लक्ष्यों एवं एफ.आर.बी.एम. के लक्ष्यों के सापेक्ष ऋण स्टॉक की स्थिति सारणी 1.37 में दर्शाई गई है।

सारणी 1.37 : ऋण संवहनीयता—एफ.आर.बी.एम. संकेतकों पर आधारित विश्लेषण

वर्ष	स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटा (प्रतिशत में)		स.रा.घ.उ. के सापेक्ष ऋण स्टॉक (प्रतिशत में)		राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	
	एफ.आर.बी.एम. द्वारा निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि	एफ.आर.बी.एम. द्वारा निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि	चौ.वि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि
2015-16	3	3.00	31.00	30.15	9.55	9.45
2016-17	3	3.30	31.00	32.72	8.93	10.48
2017-18	3	2.02	30.50	33.99	8.36	10.45
2018-19	3	2.28	30.50	33.59	7.85	9.71

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे, उ.प्र. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन संशोधित अधिनियम, 2016 एवं चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन)

राज्य सरकार विगत दो वर्षों 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान राजकोषीय घाटे को एफ.आर.बी.एम. के लक्ष्य से कम रखने में सफल रही। यद्यपि, ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात एफ.आर.बी.एम. के लक्ष्य के अन्दर नहीं था, तथापि यह वर्ष 2016-2019 की अवधि में 32.72 प्रतिशत से बढ़कर 33.59 प्रतिशत हो गया। राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान के अनुपात (ब्याज भुगतान का भार) के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया, यद्यपि यह 10.48 प्रतिशत (वर्ष 2016-17) से घटकर 9.71 प्रतिशत (वर्ष 2018-19) हो गया। इस प्रकार, स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के उपरांत भी, राजकोषीय समेकन के लिये स.रा.घ.उ. के सापेक्ष ब्याज भुगतान एवं राजकोषीय देनदारियों वर्ष 2019-20 के अन्त तक चौ.वि.आ. एवं एफ.आर.बी.एम. के द्वारा निर्धारित मार्ग पर रहती हुई प्रतीत नहीं होती हैं।